छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–27/2022/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14/09/2023

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ – 492015।

विषयः– Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 Rehabilition and Upgrading of Dharmjaigarh-Kapu Road area 10.465 ha, District Raigarh, Chhattisgarh–Reg.

संदर्भः–1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर का पत्र क्र. FC-II/IROCH-18/2023/1325, दि. 24.03.2023।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–780/1864, दिनांक 04.08.2023।

******

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 24.03.2023 के माध्यम से सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है।

2/– उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 2 दिनांक 04.08.2023 के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिसकी छायाप्रति उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

KRajput 12.9.23
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5–27/2022/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14/09/2023

प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

KRajput
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

oce

D/FCA/ Latter-N/Lalit

F-5-27/2022/10-2 413

पंजी क्रमांक 2390 21/08/2023

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स्, नया रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840

ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–780/1864

रायपुर, दिनांक 04/07/2023 08

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषयः– **Diversion of forest land for non- forest Purpose under forest conservation Act, 1980 for Rehabilition & Upgrading of Dharamjaigarh Kapu road, area 10.465 ha. – regarding.**

पंजीयन क्रमांक :–FP/CG/Road/43587/2019

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्र./FC-I/IROCH-18/2023/1325 दिनांक 24.03.2023

2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–27/ 2022/ 10–2 दिनांक 25.04.2023

3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक / 1900 दिनांक 13.07.2023

–0–

विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के संदर्भित पत्र – 1 द्वारा Rehabilition & Upgrading of Dharamjaigarh to Kapu road हेतु प्रभावित कुल 10.465 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना संभाग, बिलासपुर को प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र–3 के माध्यम से प्रेषित किया है। बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः–

S.No.	Condition	Compliance
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	शर्त आवेदक को मान्य है एवं तदाशय का Undertaking संलग्न है। (संलग्नक–1)
(ii)	Compensatory Afforestation: a. Compensatory afforestation shall be taken up by the User Agency carried out over 23.049 ha Orange Forest land in Khasra No. 36/1 (16.699 ha) and 69/1 (06.358 ha) at Village Kudhrikhar and Kerakona, Range- Chhal, Dist- Raigarh. at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided;	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी वन क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु नारंगी वन क्षेत्र कुधरीखार ख.क्र. 36/1 में से 16.699 हे. तथा नारंगी वनखण्ड सिथरा ख.क्र. 69/1 में से 6.538 हेक्टे. कुल रकबा 23.237 हे. में शर्त अनुसार स्थानीय प्रजातियों के पौधों का चयन कर वृक्षारोपण किया जावेगा।

17 AUG 2023

S.No.	Condition	Compliance
	b. The Orange Forest land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before Stage-II clearance.	नारंगी वन भूमि हेतु कलेक्टर जिला रायगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–2)**। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी वन क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने हेतु अधिसूचना प्रस्ताव संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
(iii)	The cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए कुल राशि 2,22,80,685.00 (रू. दो करोड़ बाईस लाख अस्सी हजार छः सौ पचासी मात्र) कैम्पा खाता में ई–पोर्टल के माध्यम से RTGS reference no. 223128641803 दिनांक 08.05.2023 को जमा कर दिया गया है। कैम्पा में जमा राशि के पुष्टी हेतु वेब चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–4)** साथ ही आवेदक संस्था द्वारा प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं परिवर्तित किये जाने के उपरांत आवेदति क्षेत्र को चार फीट ऊंची आर.सी.सी. पीलर्स गड़ाकर फारवर्ड एवं बैकवर्ड बैरिंग अंकित किया जाकर सीमांकन कार्य किये जाने हेतु वन विभाग के मांग पत्र अनुसार देय राशि आवेदक संस्था द्वारा जमा किया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–5)**
(iv)	NPV: a. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 10.465 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5- 1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003. letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006. letter No. 5- 3/2007-FC dated 05/02/2009, letter No. 5-3/2011- FC (Vol-1) dated 06.01.2022 and letter No. 5- 3/2011-FC(Vol-I) dated 22.03.2022 in this regard;	NPV हेतु राशि रू. 1,28,57,195.00 (रू. एक करोड़ अठ्ठाईस लाख सन्तावन हजार एक सौ पन्चानबे मात्र) मांग अनुसार इस विभाग द्वारा RTGS reference no. 223128641803 दिनांक 08.05.2023 को CAMPA मद में भुगतान किया जा चुका है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–6)**

S.No.	Condition	Compliance
	b. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) अतिरिक्त राशि देय होती है तो आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–7)**
(v)	The User Agency in consultation with State Forest Department shall minimize the felling of trees and retain maximum numbers of trees in outer RoW. A detailed report in this regard shall be submitted to IRO, Raipur, MoEF&CC.	आवेदक संस्थान राज्य वन विभाग के परामर्श अनुसार वृक्षों की कटाई को कम करेगी और बाहरी पंक्ती में वृक्षों की संख्या को अधिकतम बनाये रखेगी। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–7)**
(vi)	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal *(https://parivesh.nic.in/)*:	सभी प्रकार का भुगतान CAMPA मद में e-portal के माध्यम से किया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–8)**
(vii)	The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule- 9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022;	FRA के अंतर्गत निरंक है। कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–9)**
(viii)	The User Agency in consultation with State Forest Department shall construct wildlife passages in the form of underpasses (box culverts of approximately 3 x 4 mtrs) at regular interval in forest land as well as in non-forest areas, where there is traditional route of wildlife movement, for smooth movement of wildlife and cattle as suggested by Wildlife Institute of India in	राजस्व क्षेत्र में – इस सड़क में पूर्व निर्मित 02 नग Major Bridge 1. Ch. 1+800 लम्बाई 180 मी. चौ. 8.40 मी. उचाई 8.00 मी. 2. Ch. 19+200 लम्बाई 100 मी. चौ. 8.40 मी. उचाई 7.50 मी. ए.डी.बी. द्वारा प्रस्तावित – (i) 06 Minor Bridge Length 8-48 m. (Span 8-12 m.) Height 2-7.5 m.

S.No.	Condition	Compliance
	manual entitled "Eco- friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife, published in 2016. Hume Pipe Culverts should be avoided in Forest land as for as possible;	(ii) 03 Box Culvert,Length 6-8 m. Height3-5 m. (iii) Single Row & Duble Row Hume Pipe Culvert Nos. 51 Dia 900-1200 mm. वनक्षेत्र में प्रस्तावित Hume pipe culvert nos 13 dia 900-1200mm, Box culvert, 2 nos. Length 2m. Height 3-5m. Miner Bridge 3 nos. Length 8-20m. (Span 8-12m.) Heigth 4.5-7m. • दिनांक 16.06.2023 को व.म.अ. धरमजयगढ़ के निर्देशानुसार कक्ष क्र. 641 में WII Guidline में प्रावधानित दिशानिर्देश का पालन करते हुए 7–8 मी. ऊंचा एवं 16 मी. लंबाई/ चौ. का Bridge है जिसमें वन्य हाथी पार हो सकेगा। • हाथी क्रासिंग में अवरोध न हो इस हेतु हाथी विचरण संबंधी सांकेतिक बोर्ड, गति अवरोधक, स्पीड लिमिट बोर्ड लगाया जावेगा तथा सरलता से Embankment को पार कर सके इस हेतु Side Slop ,oa Stone Pitching कराया जावेगा। • **बंदर हेतु** – उक्त सड़क पर बंदर हेतु कक्ष क्र. 80 तथा कापू पहाड़ पर प्रत्येक 250मी. की दूरी पर मंकी ब्रिज बनाया जावेगा। • **पक्षी हेतु** – उक्त सड़क पर वन एवं गैर वनक्षेत्र पर प्रत्येक 500मी. एवं संबंधित परिक्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार बर्डहिट पोल लगाया जावेगा। • **सांप हेतु**– उक्त सड़क पर सांप के क्रासिंग हेतु वन एवं गैर वनक्षेत्र पर संबंधित परिक्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार पाईप एवं धूप क्रांक्रीट ब्लॉक बनाया जावेगा। **उक्त संबंधी आवेदक का** Undertaking **संलग्न है। (संलग्नक–10)**
(ix)	The State Forest Department shall ensure that the proposed road project poses no threat to Elephant movement or disturbance to elephants in the future. It will identify critical zone of movement and provide **speed** breakers, embankment and elephant movement sign boards at appropriate	वन विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों पर Speed Breaker, Speed Regulating Signage और Embankment इस तरीके से बनाया जावेगा जिससे हाथी एवं अन्य वन्य प्राणि सड़क को आसानी से पार कर सके एवं इनका रहवास बाधित न हो। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–11)**

S.No.	Condition	Compliance
	intervals and take up other suitable measurements along the road passing through the proposed forest area. Details of the same shall be submitted at the time of Stage- I compliance;	
(x)	State Forest Department shall undertake avenue plantation of tall plants as per IRC norms at the cost of User Agency. The State forest department shall prepare the plantation proposal giving preference to the native forest tree species including fruit-bearing tree species. Details of the same shall be submitted at the time of Stage- I compliance;	राज्य वन विभाग आवेदक संस्थान की लागत पर IRC मापदंण्डो के अनुसार लंबे पौधो का वृक्षारोपण करेगा। राज्य वन विभाग फलदार वृक्ष प्रजातियों सहित देशी वन वृक्ष प्रजातियो को वरियता देते हुए प्रस्ताव तैयार करेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–12)**
(xi)	The User agency shall take up the soil conservation measures in consultation with the State Forest Department, wherever necessary. Details of the same shall be submitted at the time of Stage- I compliance;	आवेदक संस्थान के द्वारा वन विभाग के निर्देशानुसार मृदा संरक्षण हेतु आवश्यक Retaining Wall का निर्माण किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–13)**
(xii)	The existing carriageway in the forest area, which will not be used after re-alignment, shall be dismantled and the land shall be handed over back to the State Forest Department;	वर्तमान में वन क्षेत्र में जो सड़क उपयोग में नही है उसको तोड़कर वन विभाग को हस्तांतरित किया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–14)**
(xiii)	The boundary of the diverted forest land. shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;	परिवर्तित वन भूमि को चिन्हांकित कर 4 फीट के RCC Pillar से सुरक्षित किया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–15)**
(xiv)	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas;	वन विभाग के निर्देशानुसार वन क्षेत्र में निश्चित दूरी पर गति नियंत्रक सूचक बोर्ड लगाया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–16)**

S.No.	Condition	Compliance
(xv)	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	इस परियोजना में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित नही है। भारत का राजपत्र असाधारण भाग–II खण्ड 3, उपखण्ड (II) संख्या 1067 नई दिल्ली सितम्बर 14, 2006 के बिन्दु 7 (f) में उल्लेखित विवरण के अंतर्गत नही है। गाईड लाईन एवं आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–17)**
(xvi)	The muck generated while construction of road shall not be kept inside forest area and same shall be deposited in designated place outside the forest area;	निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा/निर्माण सामग्री वनक्षेत्र में नही फेंकी जावेगी। वनक्षेत्र के बाहर व्यवस्थित किया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–18)**
(xvii)	No labour camp shall be established on the forest land;	वनक्षेत्र में कोई मजदूरों का आवास (Labour Camp) स्थापित नही किया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–19)**
(xviii)	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	निर्माण कार्य के दौरान वनक्षेत्र की लकड़ी का इंधन के रूप में मजदूरों के द्वारा उपयोग नही किया जावेगा। मजदूरों के लिए बाहर से इंधन की व्यवस्था की जावेगी। मजदूरों के द्वारा वृक्षों को किसी भी प्रकार से क्षति नही पहुचांया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–20)**
(xix)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	वनक्षेत्र का परियोजना में निर्दिष्ट (Specified) किया–कलाप के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपयोग नही किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–21)**
(xx)	layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	Lay out plan में कोई भी परिवर्तन नही किया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–22)**
(xxi)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	निर्माणाधीन सड़क के अतिरिक्त अन्य कोई भी सड़क वनक्षेत्र में निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु नही बनाया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–23)**
(xxii)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–24)**
(xxiii)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred	आवेदक संस्थान वन संरक्षण अधिनियम (Government of india ministry of Environment,

S.No.	Condition	Compliance
	to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	Forest & Climate Change) के शर्त एवं नियमों का पालन करेगी। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–25)**
(xxiv)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	किसी भी प्रकार का तोड़–फोड़ वनक्षेत्र में नही किया जावेगा/वन संरक्षण अधिनियम (Government of india ministry of Environment, Forest & Climate Change) का पालन किया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–26)**
(xxv)	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	आवेदक संस्थान समय–समय पर Ministry of Environment, Forest & Climate Change से प्राप्त वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु निर्देशो का पालन करेगी। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–27)**
(xxvi)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	पालन प्रतिवेदन e-portal (https://parivesh.nic.in/). में अपलोड किया गया।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (02 प्रति में)

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–780 /1865 रायपुर, दिनांक 04/07/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)**, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर। प्रस्तावित वन क्षेत्र में खड़े 1970 वृक्षों के विदोहन हेतु प्रस्ताव में संलग्न वृक्ष विदोहन योजना अनुसार अनुशंसा की जाती है।
2. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
   - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 24.03.2023 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत **एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।**
   - वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमति प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी के पी.डी खाते में वृक्षों के विदोहन हेतु जमा राशि के आहरण की अनुमति पृथक से भू–प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।
3. **वनमंडलाधिकारी**, धरमजयगढ़ वन मंडल, धरमजयगढ़ छत्तीसगढ़।
4. **परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)** छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम, संभाग बिलासपुर जिला बिलासपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 1900 बिलासपुर, दिनांक 13.7.23

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध)
अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :– Diversion of forest land for non- forest Purpose under forest conservation Act, 1980 for Rehabilition & Upgrading of Dharamjaigarh Kapu road, area 10.465 ha. – regarding पंजीयन क्रमांक :–FP/CG/Road/43587/2019

संदर्भ :–1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्र./FC-I/IROCH-18/2023/1325 दिनांक 24.03.2023

2. आपका पत्र क्र./भू–प्रबंध/115–844/ 781 दिनांक 28.03.2023 एवं क्र. /भू–प्रबंध/115–25/ 807 दिनांक 31.03.2023 वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ का पत्र क्र./मा.चि./1064, दिनांक 06.07.2023

———0———

विषयांतर्गत लेख है कि धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण का कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत कुल क्षेत्र 10.465 हे. वनभूमि का गैर–वानिकी उपयोग हेतु आनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/Road/43587/2019 आबंटित किया गया है। प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा अधिरोपित शर्तों के तहत प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार है :–

S.No.	Condition	Compliance
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। तदाशय का सहमति एवं आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
(ii)	Compensatory Afforestation: a. Compensatory afforestation shall be taken up by the User Agency carried out over 23.049 ha Orange Forest land in Khasra No. 36/1 (16.699 ha) and 69/1 (06.358 ha) at Village Kudhrikhar and Kerakona, Range-Chhal, Dist- Raigarh. at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided;	क्षतिपूर्ति वृक्षारापेण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु नारंगी वन क्षेत्र कुधरीखार ख.क्र. 36/1 में से 16.699 हे. तथा नारंगी वनखण्ड सिथरा ख.क्र. 69/1 में से 6.538 हेक्टे. कुल रकबा 23.237 हे. के लिए उपयुक्त स्थल चयन कर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की कुल राशि 2,22,80,685.00 (रू. दो करोड़ बाईस लाख अस्सी हजार छः सौ पचासी मात्र) कैम्पा खाता में ई–पोर्टल के माध्यम से RTGS reference no.

2464
24/07/23

S.No.	Condition	Compliance
		223128641803 दिनांक 08.05.2023 को जमा कर दिया गया है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
	b. The Orange Forest land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before Stage-II clearance.	Stage-II Clearance Proposal से पहले Non-Forest CA Land को वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं परिवर्तन की कार्यवाही किया जा रहा है। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
(iii)	The cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदक संस्था द्वारा प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं परिवर्तित किये जाने के उपरांत आवेदति क्षेत्र को चार फीट ऊंची आर.सी.सी. पीलर्स गड़ाकर फारवर्ड एवं बैकवर्ड बैरिंग अंकित किया जाकर सीमांकन कार्य किये जाने हेतु वन विभाग के मांग पत्र अनुसार देय राशि आवेदक संस्था द्वारा जमा किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
(iv)	NPV: a. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 10.465 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5- 1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003. letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006. letter No. 5- 3/2007-FC dated 05/02/2009, letter No. 5-3/2011- FC (Vol-1) dated 06.01.2022 and letter No. 5- 3/2011-FC(Vol-I) dated 22.03.2022 in this regard;	NPV हेतु राशि रू. 1,28,57,195.00 (रू. एक करोड़ अट्ठाईस लाख सन्तावन हजार एक सौ पन्चानबे मात्र) मांग अनुसार इस विभाग द्वारा RTGS reference no. 223128641803 दिनांक 08.05.2023 को CAMPA मद में भुगतान किया जा चुका है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–5)**
	b. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) अतिरिक्त राशि देय होती है तो आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–6)**

S.No.	Condition	Compliance
(v)	The User Agency in consultation with State Forest Department shall minimize the felling of trees and retain maximum numbers of trees in outer RoW. A detailed report in this regard shall be submitted to IRO, Raipur, MoEF&CC.	आवेदक संस्थान राज्य वन विभाग के परामर्श अनुसार वृक्षों की कटाई को कम करेगी और बाहरी पंक्ती में वृक्षों की संख्या को अधिकतम बनाये रखेगी। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–7)**
(vi)	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal *(https://parivesh.nic.in/):*	सभी प्रकार का भुगतान CAMPA मद में e-portal के माध्यम से किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–8)**
(vii)	The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule- 9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022;	FRA के अंतर्गत निरंक है। कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–9)**
(viii)	The User Agency in consultation with State Forest Department shall construct wildlife passages in the form of underpasses (box culverts of approximately 3 x 4 mtrs) at regular interval in forest land as well as in non-forest areas, where there is traditional route of wildlife movement, for smooth movement of wildlife and cattle as suggested by Wildlife Institute of India in manual entitled "Eco- friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife, published in 2016. Hume Pipe Culverts should be avoided in Forest land as for as possible;	राजस्व क्षेत्र में – इस सड़क में पूर्व निर्मित 02 नग Major Bridge 1. Ch. 1+800 लम्बाई 180 मी. चौ. 8.40 मी. उचाई 8.00 मी. 2. Ch. 19+200 लम्बाई 100 मी. चौ. 8.40 मी. उचाई 7.50 मी. ए.डी.बी. द्वारा प्रस्तावित – (i) 06 Minor Bridge Length 8-48 m. (Span 8-12 m.) Height 2-7.5 m. (ii) 03 Box Culvert,Length 6-8 m. Height3-5 m. (iii) Single Row & Duble Row Hume Pipe Culvert Nos. 51 Dia 900-1200 mm. वनक्षेत्र में प्रस्तावित Hume pipe culvert nos 13 dia 900-1200mm, Box culvert, 2 nos. Length 2m. Height 3-5m. Miner Bridge 3 nos. Length 8-20m. (Span 8-12m.) Heigth 4.5-7m. • दिनांक 16.06.2023 को व.म.अ. धरमजयगढ़ के निर्देशानुसार कक्ष क्र. 641

S.No.	Condition	Compliance
		में WII Guidline में प्रावधानित दिशानिर्देश का पालन करते हुए 7–8 मी. ऊंचा एवं 16 मी. लंबाई/ चौ. का Bridge है जिसमें वन्य हाथी पार हो सकेगा। • हाथी क्रासिंग में अवरोध न हो इस हेतु हाथी विचरण संबंधी सांकेतिक बोर्ड, गति अवरोधक, स्पीड लिमिट बोर्ड लगाया जावेगा तथा सरलता से Embankment को पार कर सके इस हेतु Side Slop ,oa Stone Pitching कराया जावेगा। • **बंदर हेतु** – उक्त सड़क पर बंदर हेतु कक्ष क्र. 80 तथा कापू पहाड़ पर प्रत्येक 250मी. की दूरी पर मंकी ब्रिज बनाया जावेगा। • **पक्षी हेतु** – उक्त सड़क पर वन एवं गैर वनक्षेत्र पर प्रत्येक 500मी. एवं संबंधित परिक्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार बर्डहिट पोल लगाया जावेगा। • **सांप हेतु**– उक्त सड़क पर सांप के क्रासिंग हेतु वन एवं गैर वनक्षेत्र पर संबंधित परिक्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार पाईप एवं धूप क्रांक्रीट ब्लॉक बनाया जावेगा। **उक्त संबंधी आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक–10)**
(ix)	The State Forest Department shall ensure that the proposed road project poses no threat to Elephant movement or disturbance to elephants in the future. It will identify critical zone of movement and provide speed breakers, embankment and elephant movement sign boards at appropriate intervals and take up other suitable measurements along the road passing through the proposed forest area. Details of the same shall be submitted at the time of Stage- I compliance;	वन विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों पर Speed Breaker, Speed Regulating Signage और Embankment इस तरीके से बनाया जावेगा जिससे हाथी एवं अन्य वन्य प्राणि सड़क को आसानी से पार कर सके एवं इनका रहवास बाधित न हो। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक–11)

S.No.	Condition	Compliance
(x)	State Forest Department shall undertake avenue plantation of tall plants as per IRC norms at the cost of User Agency. The State forest department shall prepare the plantation proposal giving preference to the native forest tree species including fruit-bearing tree species. Details of the same shall be submitted at the time of Stage- I compliance;	राज्य वन विभाग आवेदक संस्थान की लागत पर IRC मापदंण्डो के अनुसार लंबे पौधो का वृक्षारोपण करेगा। राज्य वन विभाग फलदार वृक्ष प्रजातियों सहित देशी वन वृक्ष प्रजातियो को वरियता देते हुए प्रस्ताव तैयार करेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–12)**
(xi)	The User agency shall take up the soil conservation measures in consultation with the State Forest Department, wherever necessary. Details of the same shall be submitted at the time of Stage- I compliance;	आवेदक संस्थान के द्वारा वन विभाग के निर्देशानुसार मृदा संरक्षण हेतु आवश्यक Retaining Wall का निर्माण किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–13)**
(xii)	The existing carriageway in the forest area, which will not be used after re-alignment, shall be dismantled and the land shall be handed over back to the State Forest Department;	वर्तमान में वन क्षेत्र में जो सड़क उपयोग में नही है उसको तोड़कर वन विभाग को हस्तांतरित किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–14)**
(xiii)	The boundary of the diverted forest land. shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;	परिवर्तित वन भूमि को चिन्हांकित कर 4 फीट के RCC Pillar से सुरक्षित किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–15)**
(xiv)	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas;	वन विभाग के निर्देशानुसार वन क्षेत्र में निश्चित दूरी पर गति नियंत्रक सूचक बोर्ड लगाया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–16)**
(xv)	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	इस परियोजना में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित नही है। भारत का राजपत्र असाधारण भाग–II खण्ड 3, उपखण्ड (II) संख्या 1067 नई दिल्ली सितम्बर 14, 2006 के बिन्दु 7 (f) में उल्लेखित विवरण के अंतर्गत नही है। गाईड लाईन एवं आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–17)**

S.No.	Condition	Compliance
(xvi)	The muck generated while construction of road shall not be kept inside forest area and same shall be deposited in designated place outside the forest area;	निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा/निर्माण सामग्री वनक्षेत्र में नही फेंकी जावेगी। वनक्षेत्र के बाहर व्यवस्थित किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–18)**
(xvii)	No labour camp shall be established on the forest land;	वनक्षेत्र में कोई मजदूरों का आवास (Labour Camp) स्थापित नही किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–19)**
(xviii)	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	निर्माण कार्य के दौरान वनक्षेत्र की लकड़ी का इंधन के रूप में मजदूरों के द्वारा उपयोग नही किया जावेगा। मजदूरों के लिए बाहर से इंधन की व्यवस्था की जावेगी। मजदूरों के द्वारा वृक्षों को किसी भी प्रकार से क्षति नही पहुचांया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–20)**
(xix)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	वनक्षेत्र का परियोजना में निर्दिष्ट (Specified) किया–कलाप के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपयोग नही किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–21)**
(xx)	layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	Lay out plan में कोई भी परिवर्तन नही किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–22)**
(xxi)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	निर्माणाधीन सड़क के अतिरिक्त अन्य कोई भी सड़क वनक्षेत्र में निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु नही बनाया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–23)**
(xxii)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार आवेदक संस्थान कार्य करने हेतु बाध्य है। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–24)**
(xxiii)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	आवेदक संस्थान वन संरक्षण अधिनियम (Government of india ministry of Environment, Forest & Climate Change) के शर्त एवं नियमों का पालन करेगी। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक–25)
(xxiv)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the	किसी भी प्रकार का तोड़–फोड़ वनक्षेत्र में नही किया जावेगा/वन संरक्षण अधिनियम (Government of india ministry of Environment,

S.No.	Condition	Compliance
	MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	Forest & Climate Change) का पालन किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–26)**
(xxv)	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	आवेदक संस्थान समय–समय पर Ministry of Environment, Forest & Climate Change से प्राप्त वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु निर्देशो का पालन करेगी। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–27)**
(xxvi)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	पालन प्रतिवेदन e-portal (https://parivesh.nic.in/). में अपलोड किया गया।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ. क्र./तक./2023/ 1901 /बिलासपुर, दिनांक 13.7.23

प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर